विविध **बैंक प्रकरण संख्या 40/2020(GCMS : 2020/00099) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री संजीव खेड़ा बनाम 1. मैसर्स प्रीत इंटरप्राइज जरिये प्रो. श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह निवासी 23 सी ब्लॉक, रवीन्द्र पथ, श्रीगंगानगर 2. श्रीमति जसवीन्द्र कौर पत्नी श्री कुलवंत सिंह निवासी मकान नं. 8, मधुबन कॉलोनी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**03.03.2021**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स प्रीत इंटरप्राइज –प्रो. श्री कुलवंत सिंह 2. जसवीन्द्र कौर द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में प्रार्थी जसवीन्द्र कौर द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं. 08(2430 वर्गफुट), किल्ला नं. 10, मुरब्बा नं. 47, चक 6 ई छोटी, मधुबन कॉलोनी, वार्ड नं. 34, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और और **अब इस प्रकरण में अप्रार्थीगण ने ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं अर्थात नाट प्रैस करता है और** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

**मैने उक्त तर्कों पर मनन किया** एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बीरबल चौक श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स प्रीत इंटरप्राइज –प्रो. श्री कुलवंत सिंह 2.

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जसवीन्द्र कौर के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में जसवीन्द्र कौर द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं. 08(2430 वर्गफुट), किल्ला नं. 10, मुरब्बा नं. 47, चक 6 ई छोटी, मधुबन कॉलोनी, वार्ड नं. 34, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक** द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 18.03.2020 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर